रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्रमांक 253/ल.ज.वि.परि./उ.वि./2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी करती है :—

1. **नोडल एजेंसी :**—छत्तीसगढ़ में 25 मेगावॉट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वे, अनुसंधान उपरांत परियोजना स्थल का चयन, नई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का चिन्हांकन एवं विकास आदि के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) राज्य की नोडल एजेंसी अधिकृत है.

2. **लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश :**—राज्य में 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का विकास नोडल एजेंसी (क्रेडा) द्वारा सामान्यत: निजी निवेश से कराया जाएगा. आवश्यकतानुसार नोडल एजेंसी भी स्वयं के स्रोत से अथवा निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त निवेश कर इन परियोजनाओं का विकास कर सकेगी.

3. **परियोजना स्थल के चिन्हांकन एवं विकास की प्रक्रिया :—**

3.1 राज्य की नोडल एजेंसी (क्रेडा) द्वारा स्वयं के स्रोतों से सर्वे एवं अनुसंधान उपरांत चिन्हित एवं चयनित 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी. ऐसी परियोजनाएं क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजनाएं कहलायेंगी.

3.2 निजी निवेशक द्वारा भी स्वयं के स्रोतों से नई परियोजना की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चिन्हांकन कर परियोजना स्थापना हेतु राज्य नोडल एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते निजी क्षेत्र द्वारा चयनित स्थल पर परियोजना की स्थापना के कारण राज्य की सिंचाई अथवा पेयजल के लिए प्रस्तावित परियोजना प्रभावित नहीं होनी चाहिए. ऐसी परियोजनाएं निजी क्षेत्र द्वारा चिन्हित परियोजनाएं कहलायेंगी.

3.3 क्रेडा अथवा निजी निवेशक द्वारा चिन्हांकित किसी भी परियोजना से राज्य की विचाराधीन जल विद्युत उत्पादन परियोजना, निर्माणाधीन जल संरचनाओं के अंतर्गत अन्य जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित नहीं होना चाहिए.

4. **आवंटन की प्रक्रिया :—**

4.1.1 **पात्रता.**—किसी भारतीय नागरिक, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत सहकारी संस्था एवं कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को राज्य में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता रहेगी. लेकिन 05 मेगावाट क्षमता तक के छोटी जल विद्युत परियोजना केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों अथवा उनके द्वारा गठित एवं संचालित पंजीकृत सहकारी संस्था, पार्टनरशिप एक्ट के तहत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत कंपनी हेतु आरक्षित रहेगी.

4.1.2 आवेदक को क्रेडा द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए.

4.1.3 पांच (5) मेगावाट क्षमता तक की प्रस्तावित परियोजना के आवंटन हेतु आवेदक को कुल लागत का 10 प्रतिशत समतुल्य राशि के बराबर नेटवर्थ धारित होना चाहिए लेकिन पांच (5) मेगावाट से अधिक क्षमता की प्रस्तावित परियोजना के आवंटन हेतु आवेदक को कुल लागत का 20 प्रतिशत समतुल्य राशि के बराबर नेटवर्थ धारित होना चाहिए.

4.2 शुल्क :—

4.2.1 क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजना की स्थापना हेतु आवेदन के साथ रुपये 15 प्रति किलोवाट की दर से प्रति परियोजना अधिकतम रुपये 5,00,000/- लेकिन न्यूनतम रुपये 10,000/- का शुल्क जमा करना होगा.

4.2.2 निजी क्षेत्र द्वारा चयनित परियोजना की स्थापना हेतु आवेदन के साथ रुपये 10 प्रति किलोवाट की दर से प्रति परियोजना अधिकतम रुपये 3,00,000/- लेकिन न्यूनतम रुपये 10,000/- का शुल्क जमा करना होगा.

4.2.3 आवेदक द्वारा क्रेडा को भुगतान किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा.

4.3 **छोटी एवं लघु जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया एवं सीमा :—**

4.3.1 **क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजनाएं :—**

(अ) क्रेडा द्वारा चिन्हित परियोजना के आवंटन हेतु राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों में आवंटन प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे.

(ब) नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने वाले पात्र आवेदक का चयन निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर परियोजना आवंटित की जावेगी.

4.3.2 **निजी क्षेत्र द्वारा चिन्हित परियोजनाएं :—**

(अ) निजी निवेशकों द्वारा चिन्हित परियोजना के लिए संबंधित निवेशक निर्धारित प्रारूप में क्रेडा को सीधे आवेदन जमा कर सकेंगे.

(ब) निजी निवेशक द्वारा चिन्हित परियोजना के आवंटन के पूर्व निर्धारित वित्तीय एवं तकनीकी मापदण्ड को पूर्ण किये जाने के संबंध में क्रेडा द्वारा परीक्षण किया जाएगा.

(स) किसी एक परियोजना के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उस लघु जल विद्युत परियोजना का आवंटन पात्र आवेदक को "प्रथम आओ प्रथम पाओ" नीति के आधार पर किया जाएगा.

4.3.3 **पूर्व में प्रभावशील नीति के अंतर्गत आवंटित परियोजनाओं की स्थापना पर प्रभाव :—**

(अ) इस नीति के प्रभावशील होने के पूर्व यदि किसी आवेदक ने उन्हें आवंटित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय लेखाबंदी अथवा पर्यावरण स्वीकृति के अंतर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त कर ली हैं तो ऐसी परियोजनाओं की स्थापना नई नीति के कारण अप्रभावित रहेगी.

(ब) पूर्व दिशा निर्देशों के तहत् आवंटित परियोजना के लिए संबंधित निवेशक को आवश्यक वैधानिक अनुमतियां एवं वित्तीय लेखाबंदी इन दिशा-निर्देशों के प्रकाशन की तिथि से 24 माह की अवधि की समाप्ति तक प्राप्त करना होगा. अन्यथा परियोजना आवंटन आदेश को निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही क्रेडा द्वारा की जा सकेगी.

4.3.4 **आवंटन की सीमा:—**

(अ) आवेदक को एक समय में अधिकतम दो परियोजनाएं जिनका कुल अधिकतम क्षमता 25 मेगावाट तक हो अथवा 25 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना का आवंटन किया जायेगा.

(ब) अधिकतम दो अथवा 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन की यह सीमा ऐसी कंपनियों पर भी लागू होगी जो कंपनी एक्ट 1956 (वर्ष 1956 का क्रमांक एक) की संगत धाराओं में एक ही प्रबंधन के रूप में परिभाषित हैं.

उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत व्हीलिंग अथवा विद्युत प्रणाली का विकास :—

5.1 आवेदक द्वारा विकसित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण लाइन की आवश्यकता होने पर उक्त लाइन की स्थापना हेतु वैधानिक अनुमतियां एवं विद्युत प्रणाली के विकास का दायित्व निवेशक पर होगा. इस हेतु संयंत्र के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीचयार्ड से राज्य की निकटतम विद्युत पारेषण प्रणाली अथवा विद्युत वितरण प्रणाली अथवा अन्तर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली तक आवश्यक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का दायित्व आवेदक पर रहेगा.

5.2 निवेशक को विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लायसेंसी की अन्य विद्यमान विद्युत प्रणाली का उपयोग कर विद्युत के व्हीलिंग की अनुमति होगी. लेकिन इस हेतु आवेदक को नियमानुसार विद्युत व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा.

छोटी एवं लघु जल विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त जल पर रायल्टी :—जल विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त जल पर रायल्टी रियायती दर अर्थात् केवल 06 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित रहेगी.

छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में रियायत :—

7.1 राज्य में प्रस्तावित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य की प्रभावशील औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट की पात्रता रहेगी.

7.2 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य में प्रभावशील औद्योगिक नीति में प्रावधित थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों को मिलने वाली रियायतें/सुविधाएं की पात्रता रहेगी.

छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि आवंटन :—

8.1 निवेशक को परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी.

8.2 यदि परियोजना स्थल पर उपलब्ध शासकीय भूमि की आवश्यकता है तो उसके आवंटन हेतु शासन के नियमानुसार कार्यवाही जल संसाधन विभाग या राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी. लेकिन इस हेतु निवेशक को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा.

8.3 यदि परियोजना हेतु निज़ी भूमि की आवश्यकता है तो शासन के प्रभावशील नियमों के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही उद्योग विभाग या राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी. लेकिन इस हेतु निवेशक को एसआईपीबी के माध्यम से आवेदन करना होगा.

8.4 परियोजना से प्रभावित परिवारों को राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व आवेदक पर होगा. परियोजना प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की कार्ययोजना स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित करना होगा ताकि प्रभावित परिवारों को आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सुविधाएं परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो सके.

छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना के लिए वैधानिक व आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना :—जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का दायित्व निवेशक पर है. अतः आवेदक को उन्हें आवंटित परियोजना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी.

छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु समय-सीमा :— आवेदक को परियोजना आवंटन की तिथि से 24 माह के भीतर परियोजना के विकास हेतु वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय लेखाबंदी सुनिश्चित करना होगा तथा वित्तीय लेखाबंदी उपरांत अधिकतम 03 माह की अवधि में परियोजना का निर्माण प्रारंभ करना होगा. और निर्माण प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 24 माह की अवधि में परियोजना की पहली इकाई से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करना होगा. आवेदक द्वारा वित्तीय लेखाबंदी अथवा परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित उक्त समय-सीमा जो भी पहले हो, का पालन न करने पर क्रेडा द्वारा परियोजना कार्यों में हुए प्रगति के अनुसार परियोजना आवंटन आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा.

छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय :— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 के अंतर्गत समय-समय पर प्रभावशील किए गए रिन्युवेबल पर्चेस आब्लिगेशन संबंधी रेग्युलेशन के पालन में राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन लघु एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाएं से उत्पादित विद्युत का क्रय बंधनकारी होगा. राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रथम अधिकार के अंतर्गत इन परियोजनाओं से विद्युत क्रय न करने पर निजी विद्युत उत्पादक स्वनिर्णय से अन्य को विद्युत का विक्रय कर सकेगा.

राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय की जा रही बिजली की मात्रा एवं दर का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अंतर्गत किया जाएगा.

परियोजना की प्रगति की समीक्षा :—राज्य में प्रस्तावित छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रगति की समीक्षा ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी.

13. **परियोजना आवंटन आदेश का हस्तांतरण :**—सामान्यत: परियोजना का आवंटन अहस्तांतरणीय है. अत: इन परियोजनाओं का विकास स्वयं आवेदक द्वारा किया जाना अनिवार्य है. तदनुसार परियोजना के आवंटन की तिथि से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि उपरांत दो वर्ष की अवधि तक आवेदक पर निम्नानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे :—

i. यदि परियोजना का आवंटन किसी भारतीय नागरिक को किया गया है तो ऐसी अवस्था में परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक किसी अन्य को परियोजना का अंतरण क्रेडा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

ii. यदि परियोजना का आवंटन इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अथवा पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को किया गया है तो ऐसी अवस्था में उक्त आवंटित परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक आवंटन के समय गठित शासी निकाय, प्राधिकारी अथवा संचालक मण्डल में कोई भी परिवर्तन क्रेडा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा.

iii. आवेदक को परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक होने पर स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीव्ही) के गठन की अनुमति होगी लेकिन उक्त एसपीव्ही को आवंटित परियोजना के विकास के अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. इस तरह गठित एसपीव्ही में आवेदक की अंशपूंजी कम से कम 51 प्रतिशत होनी आवश्यक है.

iv. परियोजना की स्थापना हेतु जारी आवंटन आदेश की शर्तों के अधीन परियोजना का निर्माण एवं संचालन किया जा सकेगा.

14. **पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का निरसन एवं आवंटन पर प्रभाव :**— पूर्व में जारी नीतिगत दिशा निर्देश इस नये नीतिगत निर्देशों के जारी होने की तिथि से निरसित हो जाएंगे लेकिन पूर्व नीति निर्देशों के अंतर्गत प्राप्त व अनिर्णित आवेदनों को निरस्त कर संबंधित परियोजनाओं का आवंटन इन नीति निर्देशों के अंतर्गत किया जा सकेगा.

15. राज्य में छोटी एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्ष तक प्रभावशील रहेंगे. इस अधिसूचना जारी होने तक पूर्व नीति प्रभावशील रहेगी.

16. उपरोक्तानुसार जारी नीति निर्देश में ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा.

17. उक्त नीति में उल्लेखित प्रावधान या बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऊर्जा विभाग, छत्ती सगढ़ शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.